

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर

पत्रांक- 3037 / 22-1
सेवा में,

दिनांक गाजीपुर,

03.6. 2021

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त,
वाराणसी।

विषय :

भटनी-औड़िहार रेलवे लाईन (कुल किमी 1.00 से 125.00 तक) के दोहरीकरण में देवरिया वन प्रभाग में प्रभावित 38.8283 हे० संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 2052 वृक्षों का पातन, बलियां वन प्रभाग में प्रभावित 3329 हे० संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 2172 वृक्षों का पातन, मऊ वन प्रभाग में प्रभावित 29.5769 हे० संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 1049 वृक्षों का पातन, एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 61.1824 हे० संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 1442 वृक्षों का पातन, अर्थात् कुल प्रभावित 162.8776 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 6715 वृक्षों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर एच अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या 8बी/यू०पी०/०७/९३/२०२१/एफ०सी०/२४ दिनांक ०९.०४.२०२१ एवं रेल विकास निगम लि० कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबन्धक-३ वाराणसी का पत्र क्रमांक RVNL/CPM-3/BSB/ARJ-BTT/DL/FC/CORRES. DATED 03 MAY 2021 AND 10 MAY 2021

महोदय,

है।

उपरोक्त विषयांकित पत्र के क्रम में बिन्दुवार पालना रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

वन प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (प्रस्ताव संख्या FP/UP/RAIL/44309/2020)

क्र०सं०	आक्षेपों का विवरण	बिन्दुवार पालना
1.	The NET suitable are for plantation as per GIS-DSS analysis is 239.10 ha. which is less than the actual required CA land area.	<p>उक्त प्रस्ताव में दोगुनी अवनत वन भूमि काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर में प्रस्तावित की गई है तथा भारत सरकार द्वारा लगाये गये आक्षेपों की बिन्दुवार पालना रामनगर से प्राप्त हुई है जो निम्न प्रकार है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. चयनित दोगुना अवनत वन भूमि प्रबंधन, वनीकरण हेतु उपयुक्त है तथा सभी प्रकार से अतिक्रमण एवं भार मुक्त है। 2. चयनित दोगुना अवनत वन भूमि पुनः मौका निरीक्षण करवा लिया गया है। तथा चयनित वन भूमि का वनस्पतिक घनत्व 0.40 अथवा 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है। 3. उक्त प्रस्तावित अवनत वन भूमि पर कहीं-कहीं स्थानीय प्रजातियों के अलावा लैण्डाना युक्त (वन तुलसी) की झाड़ियां स्थित है जिसके कारण वानस्पतिक घनत्व 0.40 अथवा 40 प्रतिशत से अधिक प्रदर्शित हो रहा है। 4. प्रस्तावित अवनत वन भूमि वनीकरण के लिये उपयुक्त है तथा वनस्पतिक घनत्व 0.40 है इस सन्दर्भ में मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश कानपुर से प्रमाण पत्र प्रमाणित करवा कर 5 प्रति में संलग्न कर प्रेषित है।
2.	As per Google Earth imageries dated 26-05-2019, agriculture activity has been observed in land proposed for CA this needs clarification and rectification.	<p>उक्त प्रस्ताव में दोगुनी अवनत वन भूमि काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर में प्रस्तावित की गई है तथा भारत सरकार द्वारा लगाये गये आक्षेपों की बिन्दुवार पालना रामनगर से प्राप्त हुई है जो निम्न प्रकार है।</p> <p>प्रस्तावित अवनत वन भूमि पर वन विभाग के स्वामित्व है एवं वन विभाग के क्षेत्राधिकार है तथा उक्त वन भूमि पर किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं किया जा रहा है।</p>

(2)

3.	Ad per Google Earth Imageries dated 26-05-2019, partially plantation activity has been observed in land proposed for CA, this needs clarification and rectification.	उक्त प्रस्ताव में दोगुनी अवनत वन भूमि काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर में प्रस्तावित की गई है तथा भारत सरकार द्वारा लगाये गये आक्षेपों की बिन्दुवार पालना रामनगर से प्राप्त हुई है जो निम्न प्रकार है। चयनित अवनत वन भूमि पर वन विभाग द्वारा पूर्व में किसी भी प्रकार का वनीकरण का कार्य नहीं किया गया है।
4.	No objection certificates of concerned department (Irrigation, PWD etc.), need to be submitted.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के साथ में प्रेषित कर दिया जायेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र भी प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।
5.	Detailed muck calculation and accordingly suitable muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि प्रस्तावित सेकंड रेलवे लाईन के निर्माण के लिये अतिरिक्त मिट्टी की आवश्यकता होगी एवं प्रस्तावित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मक जनरेट नहीं होगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र भी प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

1. प्रभागीय निदेशक काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी से प्राप्त बिन्दुवार पालना रिपोर्ट एवं वांछित प्रमाण पत्र।
2. प्रयोक्ता अभिकरण (रेल विकास निगम लि०, वाराणसी) से प्राप्त बिन्दुवार पालना रिपोर्ट एवं वांछित प्रमाण पत्र।

भवदीय

(गिरीश चन्द्र त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
सा०वा०प्रभाग, गाजीपुर

पत्रांक / समदिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र० कानपुर।
2. प्रभागीय निदेशक सा० वा० प्रभाग देवरिया, बलिया एवं मऊ।
3. रेल विकास निगम लि० कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबंधक-III, लहरतारा, डि०आर०एम० ऑफिस, वाराणसी।
4. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी।

(गिरीश चन्द्र त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
सा०वा०प्रभाग, गाजीपुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : ५२०५ / 2021-22

रामनगर, दिनांक, मई, २१ | 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
गाजीपुर।

विषय : मटनी-औड़िहार रेलवे लाईन (कुल किमी 0 1.00 से 125.00 तक) के दोहरीकरण में देवरिया वन प्रभाग में प्रभावित 38.8283 है० संरक्षित वन भूमि तथा बाघक 2052 वृक्षों का पातन, बलियां वन प्रभाग में प्रभावित 3329 है० संरक्षित वन भूमि तथा बाघक 2172 वृक्षों का पातन, मऊ वन प्रभाग में प्रभावित 29.5769 है० संरक्षित वन भूमि तथा बाघक 1049 वृक्षों का पातन, एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 61.1824 है० संरक्षित वन भूमि तथा बाघक 1442 वृक्षों का पातन, अर्थात् कुल प्रभावित 162.8776 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाघक 6715 वृक्षों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर एच अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या 8बी/यू०पी०/०७/९३/२०२१/एफ०सी०/२४ दिनांक ०९.०४.२०२१ एवं रेल विकास निगम लि० कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबन्धक-३ वाराणसी का पत्रांक-RVNL/CPM-3/BSB/ARJ-BTT/DL/FC/Corres. दिनांक ०३.०५.२०२१ एवं १०.०५.२०२१


महोदय,

उपरोक्त विषयांकित पत्र के क्रम में बिन्दुवार अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में निम्न प्रकार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

**वन प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (प्रस्ताव
संख्या-FP/UP/RAIL/44309/2020)**


क्र० सं०	आक्षेपों का विवरण	बिन्दुवार पालना
1.	The NET suitable are for plantation as per GIS-DSS analysis is 239.10 ha. which is less than the actual required CA land area.	<ol style="list-style-type: none"> 1. घयनित दोगुना अवनत वन भूमि प्रबंधन, वनीकरण हेतु उपयुक्त है तथा सभी प्रकार से अतिक्रमण एवं भार मुक्त है। 2. घयनित दोगुना अवनत वन भूमि का पुनः मौका निरक्षण करवा लिया गया है। तथा घयनित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व ०.४० अथवा ४० प्रतिशत से अधिक नहीं है। 3. उक्त प्रस्तावित अवनत वन भूमि पर कहीं-कहीं स्थानीय प्रजातियों के अलावा लेण्टाना युक्त (वन तुलसी) की झाड़ियां स्थित है जिसके कारण वानस्पतिक घनत्व ०.४० अथवा ४० प्रतिशत से अधिक

		<p>प्रदर्शित हो रहा है।</p> <p>4. प्रस्तावित अवनत वन भूमि वनीकरण के लिये उपयुक्त है तथा वनस्पती घनत्व 0.40 है इस सन्दर्भ में मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश कानपुर से प्रमाण पत्र प्रमाणित करवा कर 5 प्रति में संलग्न प्रेषित है।</p>
2.	As per Google Earth imageries dated 26-05-2019, agriculture activity has been observed in land proposed for CA this needs clarification and rectification.	प्रस्तावित अवनत वन भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व है एवं वन विभाग के क्षेत्राधिकार में है तथा उक्त वन भूमि पर किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं किया जा रहा है।
3.	Ad per Google Earth Imageries dated 26-05-2019, partially plantation activity has been observed in land proposed for CA, this needs clarification and rectification.	चयनित अवनत वन भूमि पर वन विभाग द्वारा पूर्व में किसी भी प्रकार का वनीकरण का कार्य नहीं किया गया है।
4.	No objection certificates of concerned department (Irrigation, PWD etc.), need to be submitted.	उक्त बिन्दु प्रयोक्ता अनिकरण से सन्बधित है।
5.	Detailed muck calculation and accordingly suitable muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	उक्त बिन्दु प्रयोक्ता अनिकरण से सन्बधित है।

भवदीय

 (दिनेश सिंह),
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
 वाराणसी।

पत्रांक : ५२०५१ उक्त दिनांकित।


- प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र० कानपुर।
 - रेल विकास निगम लि० कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबंधक-III, लहरतारा, डी०आर०एम० ऑफिस, वाराणसी।



 (दिनेश सिंह),
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
 वाराणसी।

DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु काशी वन्य जीव प्रभाग के चन्द्रप्रभा रेंज के भगउनबाबा मूसाखाण्ड-16, कोसिला शिकारगंज-15, पथरौलिया शिकारगंज-2अ, वन ब्लाक/ग्राम सभा में चयनित की गयी सकल क्षेत्रफल 50.00 है० अवनत वन भूमि/गैर वन भूमि का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई०टी० उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय DSS Analysis द्वारा करा लिया गया है।

DSS Analysis कराने के उपरान्त विषयगत प्रस्ताव में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक शुद्ध क्षेत्रफल 50.00 है० का वानस्पतिक घनत्व 0.4 अथवा 40 प्रतिशत से कम है। वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त तथा सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त है।


मुख्य वन संरक्षक
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र
उ०प्र०, लखनऊ



(दिनेश सिंह)
प्रभागीय वन अधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।



प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजीपुर

DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु काशी वन्य जीव प्रभाग के नौगढ़ रेंज के जोल्हवादोहार गहिला-18, जमुतियाघाट गहिला-18, टेकनवा द्वितीय गहिला-18, बरवानाला पण्डी-12, गुरुचिया नाला पण्डी-7अ, दुधगढ़वा नाला पण्डी-12, दहीजन बाबा पण्डी-12, टिकुरिया पण्डी-14ब वन ब्लाक/ग्राम सभा में चयनित की गयी सकल क्षेत्रफल 116 है० अवनत वन भूमि/गैर वन भूमि का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई०टी० उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय DSS Analysis द्वारा करा लिया गया है।

DSS Analysis कराने के उपरान्त विषयगत प्रस्ताव में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक शुद्ध क्षेत्रफल 116 है० का वानस्पतिक घनत्व 0.4 अथवा 40 प्रतिशत से कम है। वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त तथा सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त है।


मुख्य वन संरक्षक
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र
ज०प्र० कानपुर



(दिनेश सिंह)
प्रभागिय वन्याधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
रामनगर-बाराणसी
बाराणसी।



प्रभागिय निदेशक
सांवाजिक वानिकी प्रभाग
गाजीपुर


DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु काशी वन्य जीव प्रभाग की जयमोहनी रेंज के बलुहवानाला अमदहा-8, दमकहवानाला अमदहा-8 जोगीडीह भैसोड़ा-14, खदरी नाला भैसोड़ा-16, लौवारी प्रथम मूसाखाण्ड-24ए, मड़पा प्रथम, अमदहा-7, मड़पा द्वितीय अमदहा-7, नरकटी पहाड़ी अमदहा-4ए, ट्रैक्टरवा नाला अमदहा-6 वन ब्लाक/ग्राम सभा में चयनित की गयी सकल क्षेत्रफल 100.00 है० अवनत वन भूमि/गैर वन भूमि का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई०टी० उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय DSS Analysis द्वारा करा लिया गया है।

DSS Analysis कराने के उपरान्त विषयगत प्रस्ताव में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक शुद्ध क्षेत्रफल 100.00 है० का वानस्पतिक घनत्व 0.40 अथवा 40.00 प्रतिशत से कम है। वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त तथा सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त है।


मुख्य वन संरक्षक
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र
उ०प्र०, कानपुर


(दिनेश सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
कानपुर


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु काशी वन्य जीव प्रभाग के मझगाई रेंज के नौवानार प्रथम गहिला-4, नौवानार द्वितीय गहिला-4, सेमरहवा नाला गहिला-3, चमरहवाडीह गहिला-4ब, मठवाझोर भैसोड़ा-5, चकचुईया नाला भैसोड़ा-5, वन ब्लाक/ग्राम सभा में चयनित की गयी सकल क्षेत्रफल 60.00 है० अवनत वन भूमि/गैर वन भूमि का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई०टी० उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय DSS Analysis द्वारा करा लिया गया है।

DSS Analysis कराने के उपरान्त विषयगत प्रस्ताव में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक शुद्ध क्षेत्रफल 60.00 है० का वानस्पतिक घनत्व 0.4 अथवा 40 प्रतिशत से कम है। वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त तथा सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त है।

मुख्य वन संरक्षक
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र
उ०प्र०, कानपुर

प्रणाली निदेशक
राज्य-स्तरीय वन्य जीव प्रभाग
गान्धीपुर

(दिनेश सिंह)
प्रभागीय वन्य जीव प्रभाग
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर, रामनगर,
वाराणसी।



रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
(A Government of India Enterprise)

Project Implementation Unit CPM-III/BSB

(Office of Chief Project Manager -III Varanasi Beside DRM office, Lahartara, Varanasi-221002)

Ref.: RVNL/CPM-III/BSB/ARJ-BTT/DL/FC/Corres.

Date: 10/05/2021

To,

Divisional Forest Officer

Social Forestry Division – Ghazipur

Uttar Pradesh (U.P.)

Subject: EDS Reply of 162.8776 ha. Forest land Proposed for diversion for Doubling of Existing Railway Track from (Km No.- 1.000 to 125.000) Bhatni – Aunrihar Railway line Proposal No. **FP/UP/RAIL/44309/2020**

Ref.: Office of the Division Forest Officer, Ghazipur Online EDS dated 10/05/2021.

Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, We have received the EDS Letter Regarding Forest Diversion Proposal No. FP/UP/RAIL/44309/2020 on dated 10/05/2021 for “**Doubling of Existing Railway Track from (Km No.- 1.000 to 125.000) Bhatni – Aunrihar Railway line in Forest Division -Deoria (From Km. 1.000 to 28.226), Forest Division - Ballia (Km. 28.226 to 52.952 in Ballia district), Forest Division - Mau (Km. 52. 952 to 81.874 in Mau district) and Forest Division - Ghazipur (Km.81.874 to 125.000 in Ghazipur District) Uttar Pradesh**”.

We are herewith submitting the point wise reply for your reference and further Processing Please.

Point Wise Compliance Report of Forest Diversion Proposal No.: FP/UP/RAIL/44309/2020

Sr No.	EDS Observation by Forest Department	Reply by User Agency
I.	Did not received any hard copy of correction and also information regarding CA is provided by User agency. Kindly do the needful.	I. We hereby undertake that Signed reply letter as well as Scanned copy of undertaking has been uploaded in Part -I as add. documents but due to Covid-19 pandemic we couldn't submit the hard copy. Hence, we will submit the hard copy also once office will open. II. CA land has not provided by User Agency (Rail Vikas Nigam Ltd.) as double degraded forest land were identified by forest department in Ramnagar Wildlife Division therefore this is related to Divisional Forest Officer, Kasi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi

Place: Varanasi

Date: 10/05/2021


Signature of User Agency
With Office Seal

Copy to Reference and Necessary action:

1. Divisional Forest Officer, Kasi Wildlife Division, Ramnagar. Varanasi.



रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited

(A Government of India Enterprise)

Project Implementation Unit CPM-III/BSB

(Office of Chief Project Manager -III Varanasi Beside DRM office, Lahartara, Varanasi-221002)

No. RVNL/CPM-III/BSB/ARJ-BTT/DL/FC/Corres.

Date: 03/05/2021

To,

Divisional Forest Officer

Social Forestry Division – Ghazipur

Uttar Pradesh (U.P.)

Subject: EDS Reply of 162.8776 ha. Forest land Proposed for diversion for Doubling of Existing Railway Track from (Km No.- 1.000 to 125.000) Bhatni – Aunrihar Railway line Proposal No. FP/UP/RAIL/44309/2020


Ref.: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Integrated Regional Office, Lucknow Letter No. 8B/UP/07/03/2021/FC/24 dated 09/04/2021.

Dear Sir,


With reference to above mentioned Subject, We have received the EDS Letter Regarding Forest Diversion Proposal No. FP/UP/RAIL/44309/2020 vide letter No. 8B/UP/07/03/2021/FC/24 dated 09/04/2021. for “Doubling of Existing Railway Track from (Km No.- 1.000 to 125.000) Bhatni – Aunrihar Railway line in Forest Division -Deoria (From Km. 1.000 to 28.226), Forest Division - Ballia (Km. 28.226 to 52.952 in Ballia district), Forest Division - Mau (Km. 52.952 to 81.874 in Mau district) and Forest Division - Ghazipur (Km.81.874 to 125.000 in Ghazipur District) Uttar Pradesh”.

We are herewith submitting the point wise reply for your reference and further Processing Please.

Point Wise Compliance Report of Forest Diversion Proposal No.: FP/UP/RAIL/44309/2020

Sr No.	EDS Observation by Forest Department	Reply by User Agency
1.	The NET suitable are for plantation as per GIS-DSS analysis is 239.10 ha. which is less than the actual required CA land area.	Related to Forest Department.
2.	As per Google Earth imageries dated 26-05-2019, agriculture activity has been observed in land proposed for CA this needs clarification and rectification.	Related to Forest Department.
3.	Ad per Google Earth Imageries dated 26-05-2019, partially plantation activity has been observed in land proposed for CA, this needs clarification and rectification.	Related to Forest Department.  31/5/2021 Manager/Civil RVNL/BSB

Office of Chief Project Manager –III at Varanasi, Email id; cpmbbsb3@gmail.com; BSNL No. (office) :0542-2225449



रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited

(A Government of India Enterprise)

Project Implementation Unit CPM-III/BSB

(Office of Chief Project Manager -III Varanasi Beside DRM office, Lahartara, Varanasi-221002)

4.	No objection certificates of concerned department (Irrigation, PWD etc.), need to be submitted.	We hereby undertake that, 2 nd line is proposed along the existing track hence proposed track will also cross the same Canal's as well as roads. User agency will ensure that same provisions will taken up as per existing track to avoid any hindrance due to construction of 2 nd railway line. We will submit the Irrigation and PWD NoC during Stage-I Compliance. In this regards separate undertaking has been uploaded in Part-I as add. documents. Hard copy enclosed.
5.	Detailed muck calculation and accordingly suitable muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	We hereby undertake that, Proposed Railway track level difference is more than 3-7 mtr. from the existing track therefore additional filling is required to maintain the level for construction of Double track hence no muck shall be generated during Doubling of Existing Railway Track from (Km No.- 1.000 to 125.000) Bhatni – Aunrihar Railway line. Separate undertaking is also uploaded in Part-I as add. documents. Hard copy enclosed.

Place: Varanasi

Date: 03/05/2021

Signature of User Agency

With Office Seal

31/5/2021
Manager/Civil
RVNL/BSB

Copy to Reference and Necessary action pleases.

1. Divisional Forest Officer, Kasi Wildlife Division, Ramnagar. Varanasi.
2. Deputy Inspector General of Forest (Central), Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Central Region) Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector – H, Aliganj, Lucknow – 226024.

Office of Chief Project Manager –III at Varanasi, Email id; cpmbsb3@gmail.com; BSNL No. (office) :0542-2225449



रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited

(A Government of India Enterprise)

Project Implementation Unit CPM-III/BSB

(Office of Chief Project Manager -III Varanasi Beside DRM office, Lahartara, Varanasi-221002)

Full Title of the Project: "Diversion of 162.8776 ha. Forest land for doubling of Existing Railway Track from (Km No.- 1.000 to 125.000) Bhatni – Aunrihar Railway line in Forest Division -Deoria (From Km. 1.000 to 28.226), Forest Division - Ballia (Km. 28.226 to 52.952 in Ballia district), Forest Division - Mau (Km. 52. 952 to 81.874 in Mau district) and Forest Division - Ghazipur (Km.81.874 to 125.000 in Ghazipur District) Uttar Pradesh".

Proposal No. : FP/UP/RAIL/44309/2020

Date of Proposal : 31/01/2020

Applied Forest Area : 162.8776 hectare

UNDERTAKING FOR SUBMISSION OF PWD/ IRRIGATION NoC

I/We **Munendra Kumar, Manager**, Office of Chief Project Manager-III, Rail Vikas Nigam Limited, Varanasi, is hereby undertake that, 2nd line is proposed along the existing track hence proposed track will also cross the same Canal's as well as roads.

User agency will ensure that same provisions will take up as per existing track to avoid any hindrance due to construction of 2nd railway line.


I/We, hereby, undertake that, We will submit the Irrigation and PWD NoC during Stage-I Compliance.


Place: Varanasi

Date: 03/05/2021

Signature of User Agency

With Office Seal


31/01/2021
Manager/Civil
RVNL/BSB



रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited

(A Government of India Enterprise)

Project Implementation Unit CPM-III/BSB

(Office of Chief Project Manager -III Varanasi Beside DRM office, Lahartara, Varanasi-221002)

Full Title of the Project: "Diversion of 162.8776 ha. Forest land for doubling of Existing Railway Track from (Km No.- 1.000 to 125.000) Bhatni – Aunrihar Railway line in Forest Division -Deoria (From Km. 1.000 to 28.226), Forest Division - Ballia (Km. 28.226 to 52.952 in Ballia district), Forest Division - Mau (Km. 52. 952 to 81.874 in Mau district) and Forest Division - Ghazipur (Km.81.874 to 125.000 in Ghazipur District) Uttar Pradesh".

Proposal No. : FP/UP/RAIL/44309/2020

Date of Proposal : 31/01/2020

Applied Forest Area : 162.8776 hectare

UNDERTAKING FOR MUCK DISPOSAL PLAN

I/We **Munendra Kumar, Manager**, Office of Chief Project Manager-III, Rail Vikas Nigam Limited, Varanasi, is hereby undertake that, Proposed Railway track level difference is more than 3-7 mtr. from the existing track therefore additional filling is required to maintain the level for construction of Double track hence no muck shall be generated during Doubling of Existing Railway Track from (Km No.- 1.000 to 125.000) Bhatni – Aunrihar Railway line.

Place: Varanasi

Date: 03/05/2021


31/5/2021
Manager/Civil
RVNL, BSB

Signature of User Agency

With Office Seal